

२७२/ग्रन्थ/१८  
३१/११/१८

## फार्म

### \* प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती दिलीप राणजन रंगारे** ..... 2. वर्तमान धारित पद ..... **स्थायिक उड़ान बैठक** .....
3. वर्तमान वेतन **6690+2400 ग्रो-से** ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ..... **०१.०५.१८** .....



उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
फूलेट क्र-३०१, प्लाट क्र-१४४, वैभवलहमी अपार्टमेंट, लीसर टल, दिल्लीपुर्ज बोलार रोड, धोपाल	भवन (2 BHK)	-  ₹. १५.४१ लाख (ग्रुहशक्ति लेन्डर) बैंक अपार बड़ोदा से कुल ४लाख रुपये	स्वयं एवं पति (श्री दिलीप रंगारे) के संयुक्त नाम से	बैंक द्वारा संयुक्त अधिक्षम लेन्डर (वैभवलहमी कंट्रूनरी से क्रय किया गया)	—	—	—

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के व्यौरे दें।

हस्ताक्षर ..... *Shashi* 31/०१/१८  
नाम **श्रीमती दिलीप राणजन रंगारे**  
पद ..... **स्थायिक उड़ान बैठक ग्रुप-२**